REGD. NO. D. L.-33004/99



HRCE of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II ---खण्ड 3 --- उप-खण्ड (ii) PART II---Section 3---Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

(1)

सं. 668]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
No. 668]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

(1)	(2)	(3)
48 क	रा.रा. ५२ख	अरुणाचल प्रदेश राज्य में महादेवपुर
	का विस्तार	से आरंभ होकर नामचिक,चांगलांग,
		खोनसा और कनुबारी से होते हुए
		और असम राज्य के बोगीनील पुल
		के पहुंच मार्ग को जोड़ते हुए
		डिब्रुगढ़ के पास समाप्त होने वाला
		राजमार्ग ।
28ख	रा.रा. 37	राष्ट्रीय राजमार्ग 37 का, असम में
	का विस्तार	संखोवाघाट के पास उसके अंतिम
		छोर से अरुणाचल प्रदेश में रोइंग
		के पास रा. रा. 52 को जोड़ने के
		लिए विस्तार किया जाता है ।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2008-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

टिप्पण .-- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)और उसकी अनुसूची भारत के राजपत्र में 11 सितंबर, 1956 को प्रकाशित की गई थी और उक्त अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना का.आ. 2170(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2007 द्वारा किया गया।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

का.आ. 1163(अ).—-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने हैं, उक्त अधिनियम की अनुसूची में तत्स्थानी क्रम. सं., राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और उक्त सारणी में उपदर्शित किए गए उनके विवरण सहित विनिर्दिष्ट हुए समझे जाएंगे।

ंसारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन
(1)	(2)	(3)
120	229	अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांस से आरंभ होकर बोमडीला, नेचीपू, सेप्पा, सागाली, जीरों, दपोरीजो, अलांग से होते हुए पासीघाट पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
1811 GI/2008		

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

S.O. 1163(E).—In exercise of powers conferred by the sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns (2) and (3) of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to the specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table. TABLE

TADLE			
Serial Number in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway Number	Description of National Highways	
(1)	(2)	(3)	
120	229	The highway starting from Tawang passing through Bomdila, Nechipu, Seppa, Sagalee, Ziro, Daporijo, Aalong and terminating at Pasighat in the State of Arunachal Pradesh.	

(1)	(2)	(3)
48A	Extension of NH 52B	The highway starting form Mahadevpur passing through Namchik Changlang, Khonsa and Kanubari in the State of Arunachal Pradesh and terminating near Dibrugark in the State of Assam joining with approaches to Bogibeel bridge.
28B	Extension of NH 37	The National Highway Number 37 is extended from its dead end near Saikhowaghat in Assam to join NH 52 near Roing in Arunachal Pradesh.

Foot Note :--- The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India on 11th September, 1956 and the said Schedule was last amended *vide* notification number S.O. 2170(E), dated 24th December, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

PRABHAKAR, Dy. Secy.

`

The second second